

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013 .

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. हेमन्त जैन, जिनकी जन्मतिथि 27-08-1982 है एवं मेरिट संख्या एम 4/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2008 के अनुषार निर्धारित दशों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. जैन का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के नैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
6. डॉ. हेमन्त जैन, 5/264, एस.एफ.एस., अग्रवाल फार्म, आईसीजी के पास, मानसरोवर, जयपुर-302020 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. उत्तम चंद सैनी (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 22-08-1981 है एवं मेरिट संख्या एग-5/बीसी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15800-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2008 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपधे 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. सैनी का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 8(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अतिग.निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव .

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा ।
6. डॉ. उत्तम चन्द सैनी, प्लॉट न. सी-29, नन्दपुरी कॉलोनी, हवासड़क, बाइस गोदाम, जयपुर-302019 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. विनीत अरोड़ा, जिनकी जन्मतिथि 22-09-1977 है एवं मेरिट संख्या एम-7/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-8800) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. अरोड़ा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 8(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बीकानेर।
6. डॉ. विनीत अरोड़ा द्वारा- श्री विवेक अरोड़ा, प्लॉट न. 230, प्रथम तल, सैक्टर-9, चित्रकूट, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. शिव कुमार गोयल, जिनकी जन्मतिथि 15-01-1975 है एवं मेरिट संख्या एम-8/सामान्य है; को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. गोयल का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(6) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।


आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(64)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. डॉ. शिव कुमार गोयल, 77/161, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (188)एमई/गुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. नरेन्द्र सैनी, जिनकी जन्मतिथि 06-12-1975 है एवं मेरिट क्रमांक एम-9/ सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/कल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. सैनी का पदस्थापन मेडिकल कालेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव .

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. नरेन्द्र सैनी, 71, सूर्य नगर, आबकारी थाने के पीछे, बुधसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर-302011 (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशांषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. राजकुमार हर्षवाल (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 26-12-1981 है एवं मेरिट संख्या एग-10/बीसी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिगाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की विधि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. हर्षवाल का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्राक्धान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)मर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
6. डॉ. राजकुमार हर्षवाल, बी-34, शिवाजी गोदारा कॉलोनी, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. सचिन जोशी, जिनकी जन्मतिथि 06-07-1979 है एवं मेरिट संख्या एम-11/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रुत्ना/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुमये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. जोशी का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ. सचिन जोशी, 1/83, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बस स्टैण्ड के पास, टोक-304001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/गुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. रामनिवास विश्वाकर्ष (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 17-11-1979 है एवं मेरिट संख्या एम-19/बीसी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2008 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. विश्वाकर्ष का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीय निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीय है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीय होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)मर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर।
6. डॉ. राम निवास विश्वाकर्ष, सी-222, कीर्ति नगर, मगरा पूंजला मेन रोड, जोधपुर-342007 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 28-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. धर्मसिंह मीणा (एसटी), जिनकी जन्मतिथि 17-01-1983 है एवं मेरिट संख्या एम-24/एसटी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रुलर/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. मीणा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।


आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. डॉ. धर्मसिंह मीणा, 47-बी, आर-ब्लॉक, दिलशाद गार्डन, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110095 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. जाकिर हुसैन सलावट, जिनकी जन्मतिथि 02-06-1971 है एवं मेरिट क्रमांक एम-16/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. सलावट का पदस्थापन मेडिकल कालेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीय निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीय है।


उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीय होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. जाकिर हुसैन सलावट, 1-ट-32, जवाहर नगर, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. सुनील कुमार रावत (एसटी), जिनकी जन्मतिथि 06-12-1974 है तथा मेरिट क्रमांक एम-23/एसटी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. रावत का पदस्थापन मेडिकल कालेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. सुनील कुमार रावत, 58, अजय विहार कॉलोनी, आरएनआई सैकण्डरी स्कूल के पास, श्योपुर, सांगानेर, जयपुर-302233 (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. किशन गोपाल नामा (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 18-08-1976 है एवं मेरिट संख्या एम-21/बीसी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. नामा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा ।
6. डॉ. किशन गोपाल नामा, रामलीला चौक, निरखी गली, केशवराय पाटन, जिला-बूंदी-323601 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. रविन्द्र कुमार (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 05-06-1979 है एवं मेरिट संख्या एम-18/बीसी है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. रविन्द्र कुमार का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।


उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ. रविन्द्र कुमार, ई-41, वैशाली नगर, गुप्ता स्टोर के पीछे, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. दिनेश कुमार मीणा (एसटी), जिनकी जन्मतिथि 18-02-1980 है एवं मेरिट संख्या एम-17/एसटी पुरुष है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. मीणा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।


उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ. दिनेश कुमार मीणा, चर्च रोड, मयूर इंटरनेशनल स्कूल के पास, देवली, जिला-टोंक (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. सिद्धार्थ शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 03-11-1978 है एवं मेरिट संख्या एम-14/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. डॉ. सिद्धार्थ शर्मा, 53, पद्मावती बी कॉलोनी, किंग्स रोड, निर्माण नगर के पास, अजमेर रोड, जयपुर-302019 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. अमित जैन, जिनकी जन्मतिथि 12-04-1982 है एवं मेरिट संख्या एम-13/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. जैन का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव .

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर ।
6. डॉ. अमित जैन, 233, महावीर नगर, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक 26-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. अरूण कुमार शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 11-02-1980 है एवं मेरिट संख्या एम-6/सामान्य है, को सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।


उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 1104/13, 864/13, 1195/13, 1381/13 एवं 1378/13 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(54)भर्ती/गोपनीय/2008-09/672 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ. अरूण कुमार शर्मा, ए-176, शिवशक्ति नगर, माडल टाउन, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव